इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2016—भाद्र 5, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. एफ 5-69-2016-1-पचपन (ब).—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं पूर्व प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-5-69-2016-1-पचपन (ब), दिनांक 24 अगस्त 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में, राजपत्र क्रमांक 355, दिनांक 24 अगस्त 2016 को प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सहायता न पाने वाले मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाती है (जिसमें अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है), अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिये स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिये विनियम, 2016 है.

(2) ये विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) ये विनियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं.

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली;

(ख) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है, भारत शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा महाविद्यालय या दंत चिकित्सा महाविद्यालय;

(ग) ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है, बोर्ड द्वारा आयोजित की गई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.);

(घ) ''अर्हता परीक्षा'' से अभिप्रेत है, एम.बी.बी.एस. (बेचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड बेचलर ऑफ सर्जरी) या बी.डी.एस. (बेचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु कम से कम 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा;

(ङ) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;

(च) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;

(छ) ''प्रवर्ग'' से अभिप्रेत है, महिला, जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित किया गया है एवं विकलांग (पी.एच.) जैसा कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है;

(ज) ''चयनित अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है.

(झ) नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू.जी.) से अभिप्रेत है, बोर्ड द्वारा एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित की गई परीक्षा;

(ञ) ''एम.सी.आई.'' से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्;

(ट) ''डी.सी.आई.'' से अभिप्रेत है, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के अधीन गठित दन्त चिकित्सा परिषद्;

(ठ) ''फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 4 के अन्तर्गत गठित समिति;

(ड) ''अनिवासी भारतीय'' का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड) में उसके लिए दिया गया है;

(ढ) ''अधिष्ठाता/प्राचार्य'' से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ण) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी.

3. **सामान्य प्रवेश विनियम.**—(1) एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश एम.सी.आई./डी.सी.आई./विश्वविद्यालय/राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों-विनियमों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन होंगे.

(2) ये विनियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में सीट आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे:—

(एक) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम—मध्यप्रदेश में स्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालय
(दो) बी.डी.एस. पाठ्यक्रम—मध्यप्रदेश में स्थित निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय

(3) अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड को प्रेषित किए गए ऑन-लाईन आवेदन-पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये हैं वही फोटो ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन के समय, स्क्रूटनी स्थल एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों. अभ्यर्थी यही फोटो की 30 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें जिसका उपयोग समय-समय पर प्रवेशित महाविद्यालय में किया जा सके. बोर्ड द्वारा फोटोग्राफ के संबंध में निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित है जिनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा,—

(क) फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार फोटोग्राफ की पिछली ओर केवल बॉल पॉइंट पेन से अपना नाम, आवेदन-पत्र संख्या और मेरिट नम्बर अवश्य लिखेंगे. फोटोग्राफ के लिये निर्दिष्ट स्थान पर सफेद बैक-ग्राउंड सहित अनुप्रमाणित नवीनतम

अच्छी क्वालिटी का रंगीन स्टूडियों फोटोग्राफ जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) परीक्षा के दौरान प्रयोग किया गया हो चिपकाए जाएं. फोटोग्राफ परीक्षा के पिछले वर्ष की 01 दिसम्बर को अथवा उसके बाद लिया गया हो जिसमें नीचे दर्शाए अनुसार उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो. फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ हो.

(ख) नजर के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रूप से पहना जाता है. पोलोरॉइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं. फोटोग्राफों को निर्दिष्ट स्थान पर गोंद/एडहेसिव से भली-भांति चिपकाया जाए और उन्हें पिन से नहीं लगाया जाए/स्टेपल नहीं किया जाए. इन अनुदेशों को पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट फोटो वाले आवेदनों (प्ररूप-1 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र) को अस्वीकृत किया जायेगा. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात् वह सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित है, तो उम्मीदवार का सीट आवंटन/प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तद्नुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

(ग) फोटो में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश का हकदार नहीं होगा.

(घ) अभ्यर्थी द्वारा स्क्रूटनी व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही-सही दी जाएगी. स्क्रूटनी तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर हिन्दी एवं अंग्रेजी में करेंगे तथा सभी स्थानों पर एक से हस्ताक्षर करेंगे. हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा.

(4) यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन-पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय अथवा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई जानकारी छुपाई है एवं /अथवा असत्य जानकारी दी है तो दिया गया प्रवेश कभी भी महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी.

(5) छात्र/छात्रा को दुराचरण, अनुशासनहीनता, लगातार बिना अनुमति के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है.

(6) अभ्यर्थी द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) परीक्षा के आवेदन फार्म में मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी से संबंधित दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा.

4. **सीटों की उपलब्धता.**—महाविद्यालयवार एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें, संचालक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर च्वाईस फिलिंग के पूर्व प्रदर्शित की जाएगी. महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप भरी जाएगी. उन्हें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) के योग्य चयनित अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा. सीटों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है :—

(क) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग करने के पूर्व सीटों की मान्यता की स्थिति एम.सी.आई./ डी.सी.आई. की वेबसाईट से निश्चित कर लें.

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

(ग) निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.

(घ) निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश एवं शुल्क से संबंधित विवाद की स्थिति में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.

5. **आरक्षण.**—(1) सोलह प्रतिशत, बीस प्रतिशत तथा चौदह प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये आरक्षित की गई हैं एवं शेष सीटें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध रहेगी. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका उत्तरदायित्व

स्वयं अभ्यर्थी का होगा. प्रमाण-पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा (प्ररूप 4 अ, ब, जो भी लागू हो).

(2) अनिवासीय भारतीय नागरिकों के लिये निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल स्थानों के आवंटन में पन्द्रह प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक निर्धारित रहेगा.

(3) ऐसे विकलांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिये प्रत्येक श्रेणी में तीन (3%) प्रतिशत सीटें एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई है. यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा.

(4) एम. सी. आई. की अधिसूचना क्रमांक सं.भा.आ.प.-34(41) 2008-मेडि./54469, दिनांक 25 मार्च, 2009 के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (PH-1) के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जावेगी. 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (PH-2) से कम के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यिर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे. उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी.

(5) इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को अधीक्षक, भारत सरकार श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण-पत्र एवं जिला मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्क्रूटनी के समय प्रस्तुत करना होंगे. दोनों ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उन्हें सीट आवंटन की पात्रता नहीं होगी. पात्रता प्रमाण-पत्र की तिथि स्क्रूटनी की तिथि से तीन माह से अधिक पूर्व की नहीं होना चाहिए.

नोट.—विकलांग अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये भारत सरकार श्रम मंत्रालय, विकलांग पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं जारी करने की तिथि, विकलांगता का प्रतिशत इत्यादि जानकारी आवश्यक होगी. अतः इस प्रमाण-पत्र को अनिवार्य रूप से बनवालें.

(6) एम.सी.आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी :—

(क) हाथ/हाथों से विकलांग; या

(ख) दृष्टि से विकलांग; या

(ग) बहरापन; या

(घ) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता.

(7) एम.बी.बी.एस. या बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी में तीस प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की जाएगी. यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा.

6. **पात्रता.**—(1) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो.

(2) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है.

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-1, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के अनुसार (परिशिष्ट-17) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी:—

(क) आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो.

(ख) आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो.

(ग) आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अन्तर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित है, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-1, दिनांक 25-09-2014 मापदण्ड क्रमांक (ब) 1 अथवा (ब) 2 में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा.

(घ) आवेदक, अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो.

(ङ) आवेदक, मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो.

(च) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो. इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाएगी. इस कण्डिका में परिजन से अभिप्रेत है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति या माता अथवा पिता.

स्पष्टीकरण-एक.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक सी 3-7/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 20 मई 2015 के अनुसार (परिशिष्ट-18) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र कलेक्टर या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो. (प्ररूप-8)

प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर होना चाहिए.

स्पष्टीकरण-दो.—किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो, अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि उम्मीदवार का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का प्राकृतिक अभिभावक माना जायेगा. अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी.

स्पष्टीकरण-तीन.—मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार 28 अक्टूबर 2010 के पश्चात् वैध प्रारूप पर ही स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के पूर्व के वास्तविक एवं मूल निवासी वैध प्रमाण-पत्र जिन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, को भी मान्य किया जाएगा.

(3) एम.बी.बी.एस. या बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बॉयोटैक्नोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी तथा 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु भी 12वीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बॉयोटैक्नोलॉजी विषय पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) में भी 50 पर्सेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

ऐसे सभी श्रेणी तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का 10+2 प्रणाली की अर्हकारी परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

अथवा

अभ्यर्थियों के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा मण्डल के समकक्ष अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा उपरोक्तानुसार भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बॉयोटैक्नोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो.

(4) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विदेश में शिक्षा प्राप्त की गई है यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गए समानता प्रमाण-पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जाएगा. ऐसे सभी श्रेणी तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष अर्हकारी (10+2) परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

(5) एम.बी.बी.एस. या बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र होने हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) की परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 50 पर्सेन्टाइल (Percentile) तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक 40 पर्सेन्टाइल (Percentile) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) में न्यूनतम 50 पर्सेन्टाइल (Percentile) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु भी 12वीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बॉयोटैक्नोलॉजी विषय पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. ऐसे सभी श्रेणी तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का 10+2 प्रणाली की अर्हकारी परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

(6) बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्सेन्टाइल (Percentile) ही मान्य होगा.

(7) विकलांग वर्ग के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 45 पर्सेन्टाइल (Percentile) होंगे एवं आरक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 पर्सेन्टाइल (Percentile) अनिवार्य होंगे.

(8) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह प्रवेश परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा उसके पूर्व 17 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका हो.

(9) ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनकी आयु प्रवेश परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 25 वर्ष से अधिक हो चुकी हो उन्हें प्रवेश की पात्रता नहीं होगी. लेकिन आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग) के समस्त अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी.

(10) अभ्यर्थी को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिये हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जाएगा. ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में जिन्होंने अपनी निवासी संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की हैं जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो, तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्संबंधी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा.

7. **फीस संरचना.**—(1) फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/प्राइवेट विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के निर्धारण अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रवेश के समय मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-23-27/2014/25-5, भोपाल, दिनांक 27-7-2016 के अनुसार निम्नानुसार की जाएगी:—

(क) दो लाख पचास हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से शासकीय स्तानक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी.

(ख) दो लाख पचास हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से अशासकीय स्तानक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी. राज्य काउंसलिंग में प्रवेश होने पर जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र की प्रति विद्यार्थियों से प्राप्त कर संस्था तत्काल संबंधित जिले (जहां संस्था स्थापित है, जिसमें विद्यार्थी का प्रवेश होना है) के जिला अधिकारी को जानकारी देंगे तत्समय ही जिला अधिकारी, संस्था को पात्रता अनुसार विद्यार्थी को शुल्क स्वीकृत होने की संलग्न प्ररूप अनुसार वचनबन्ध (Undertaking) संस्था को उपलब्ध कराएंगे.

(ग) उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के एक माह के अन्दर नियमानुसार संबंधित संस्था/नोडल संस्था, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन पूर्ण कर आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के पास ऑनलाईन अग्रेषित करेंगे. मूल आवेदन-पत्र सुसंगत अभिलेखों की हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित किया जाएगा. विभाग के अधिकारी विधिवत् प्राप्त प्रस्तावों को कलेक्टर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर एक माह के अन्दर राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में अंतरित कराएंगे तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था को अनिवार्यत: दी जाएगी.

(घ) प्रत्येक जिले में संचालित शिक्षण संस्थाओं की सूची प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी जिन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा उन संस्थाओं को जिला कलेक्टर कारणों सहित स्पष्ट आदेश पारित कर छात्रवृत्ति के प्रयोजन से संस्था को डीनोटिफाईड करेंगे. डीनोटिफिकेशन में उल्लेखित अवधि में संबंधित संस्था तथा विद्यार्थी विभाग की योजना से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे. (परिशिष्ट-19).

8. **प्रतिभूति निक्षेप.**—(1) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के दौरान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 10,000/- (रु. दस हजार), अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 2000/- (रु. दो हजार), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 3.00 लाख (रुपये तीन लाख) से अधिक है, उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 2000/- (रु. दो हजार) भुगतान करना होगा.

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 3.00 लाख (रुपये तीन लाख) से कम है, उन्हें प्रतिभूति निक्षेप जमा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु अभ्यर्थी को इस संबंध में आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(3) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रवेश के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-3-7-2013-3 एक, भोपाल, दिनांक 25-9-2014 के अनुसार (परिशिष्ट-16अ) संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र, घोषणा पत्र (परिशिष्ट-16) के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जाएगा. आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ण राशि रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा. संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा ऐसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्रों/शपथ पत्रों के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जाएगी. अधिष्ठता/प्राचार्य द्वारा वर्णित तथ्यों की जांच हेतु सक्षम अधिकारी को प्रवेश की अन्तिम तिथि साठ दिवस के अंदर भेजना अनिवार्य होगा. जाँच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया गया है तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित छात्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश निरस्त किया जाएगा एवं ऐसे छात्रों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की बकाया शैक्षणिक शुल्क के बराबर राशि संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी खाते में दण्ड स्वरूप जमा करना होगा, तभी छात्र को मूल प्रमाण-पत्र वापिस किए जाएंगे.

(4) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र/स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र, पर घोषणा पत्र (परिशिष्ट-16) प्रस्तुत करना होगा. क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे. उन्हें सामान्य वर्ग में मेरिट अनुसार पात्रता होगी. (अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमानुसार पूर्ण करना आवश्यक है).

(5) प्रतिभूति निक्षेप इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बिना ब्याज के संबंधित महाविद्यालय द्वारा वापिस कर दिया जायेगा. यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है या इंटर्नशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर लिया जाएगा.

(6) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा राज्य की यू. जी. काउंसिलिंग की अंतिम चरण के अंतिम दिन सायं 5.00 बजे के पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संबंधित संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से दस प्रतिशत राशि (अधिकतम रुपये दस हजार मात्र) काटकर शेष फीस की राशि लौटाई जावेगी. अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात् सीट छोड़ने पर फीस संबंधी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी.

9. **प्रावीण्य सूची.**—(1) (क) बोर्ड द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) के सभी सफल अभ्यर्थियों की ऑल इण्डिया कॉमन मेरिट लिस्ट एवं मध्यप्रदेश राज्य की एक सामान्य प्रावीण सूची जारी की जाएगी.

(ख) विकलांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये दो पृथक्-पृथक् प्रावीण्य सूचियां (PH-1 एवं PH-2) विनियम 5 के उपविनियम (3) के अनुसार, श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता अंकों के एवं विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी.

(2) (क) बोर्ड द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों की एक प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के लिये अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) में न्यूनतम प्राप्तांक 50 परसेंटाईल (Percentile) प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

(ख) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यदि अनारक्षित श्रेणी की सीट आवंटन करवाना चाहते हैं तो इसके लिये उन्हें अर्हकारी परीक्षा (10+2) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बॉयोटैक्नोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) में 50 परसेंटाईल (Percentile) प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

(3) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) में न्यूनतम प्राप्तांक 40 परसेंटाईल (Percentile) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. विकलांग अभ्यर्थियों हेतु नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) में अनारक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये कुल अंकों में से न्यूनतम 45 परसेंटाईल (Percentile) प्राप्तांक एवं आरक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये कुल अंकों में से 40 परसेंटाईल (Percentile) प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे.

10. **काउंसिलिंग प्रक्रिया.**—(1) काउंसिलिंग का कार्यक्रम एवं काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा घोषित किया जाएगा. इसे संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं एम. पी. ऑनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in प्रदर्शित किया जाएगा.

(2) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार काउंसिलिंग (परामर्श) समिति का गठन किया जाएगा:—

(क) राज्य सरकार द्वारा काउंसिलिंग (परामर्श) समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति (संचालक, चिकित्सा शिक्षा स्तर के नीचे का अधिकारी न हो).	—	अध्यक्ष
(ख) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी.	—	सदस्य
(ग) निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित एक सदस्य.	—	सदस्य
(घ) प्रवेश एवं फीस विनियामक आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य.	—	सदस्य
(ङ) एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एवं डेन्टल कालेज के अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य.	—	सदस्य
(च) संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश	—	समन्वयक सदस्य.
(छ) काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कम से कम पांच या उससे अधिक अधिकारी (नामांकित सदस्यों में दो सदस्य आरक्षित श्रेणी के होंगे).	—	सदस्य

(3) काउंसिलिंग (परामर्श) समिति, प्रवेश हेतु निम्नानुसार काउंसिलिंग कार्यक्रम निष्पादित करेगी,—

(क) काउंसिलिंग समिति, प्रवेश हेतु कार्यक्रम, स्थान, समय तथा अन्य आवश्यक ब्यौरे तैयार करेगी तथा काउंसिलिंग के प्रारंभ होने के पूर्व इससे संबंधित विज्ञप्ति राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराएगी.

(ख) काउंसिलिंग समिति, केन्द्रीयकृत या विकेन्द्रीयकृत काउंसिलिंग (परामर्श) की प्रक्रिया कम्प्यूटीकृत एकल खिड़की प्रणाली अपनाकर करेगी.

(ग) काउंसिलिंग समिति, काउंसिलिंग (परामर्श) के प्रत्येक क्रम के लिए तिथि निर्धारित करेगी.

(4) प्रथम चरण की काउंसिलिंग ऑनलाईन की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(क) अभ्यर्थी को एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस रुपये पांच सौ पोर्टल फीस रुपये तीस तथा रुपये एक सौ पोर्टल फीस च्वाईस लॉकिंग करने हेतु देय होगी. यह राशि अभ्यर्थी द्वारा एमपी ऑनलाईन द्वारा अधिकृत कियोस्क पर नगद जमा किया जा सकता है अथवा अभ्यर्थी निम्नानुसार भी भुगतान कर सकता है :—

(एक) इंटरनेट बैकिंग; या

(दो) ए. टी. एम. कम डेबिट कार्ड; या

(तीन) क्रेडिट कार्ड द्वारा

नोट.—अर्थात् अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय रुपये पांच सौ तीस एवं च्वाईस लॉकिंग के समय रुपये एक सौ कुल रुपये छह सौ तीस जमा करने होंगे.

(ख) शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये मात्र एक ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा.

(ग) अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये वे प्रथम चरण की काउंसिलिंग से पूर्व घोषित तिथियों में एम. पी. ऑनलाईन में अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवा लें. ऐसे अभ्यर्थी जो अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एम. पी. ऑनलाईन में नहीं करवाते हैं वे काउंसिलिंग की किसी भी चरण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे.

(घ) ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थियों द्वारा च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग स्वयं के द्वारा की जावेगी.

(ङ) अभ्यर्थी को च्वाईस लॉकिंग के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना आवश्यक होगा जो उसे स्क्रूटनी के समय रजिस्ट्रेशन की रसीद के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(च) ऑनलाईन सीट आवंटन का परिणाम घोषित होने के उपरांत आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट अपने पासवर्ड का उपयोग करके जो कि उसे एमपी ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन करवाने पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा दिया जायेगा, प्राप्त कर सकेगा.

(छ) च्वाईस भरने के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिये अपात्र होंगे. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे भली-भांति सोच विचार कर अपनी च्वाईस भरें, जो पाठ्यक्रम/महाविद्यालय अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं, वह विकल्प अभ्यर्थी न भरें.

(ज) आवंटित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संपन्न की जावेगी. अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिये अपने मूल अभिलेखों तथा निर्धारित फीस के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा. प्रवेश की समस्त प्रक्रिया की विडियोग्राफी का उत्तरदायित्व निर्धारित महाविद्यालयों का होगा. महाविद्यालयों में आवंटित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया यथास्थिति निर्धारित किए गए चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में की जाएगी.

(झ) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा निजी विश्वविद्यालय में कुल उपलब्ध स्थानों के पन्द्रह प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीटें केवल एन. आर. आई. के लिये आरक्षित होंगे एन. आर. आई. कोटे की पन्द्रह प्रतिशत सीटों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा, तद्नुसार एन. आर. आई. कोटे की कुल सीटों में से सोलह प्रतिशत, बीस प्रतिशत तथा चौदह प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये आरक्षित होंगी, निजी संस्था द्वारा अपने स्तर पर उक्त पन्द्रह प्रतिशत सीटों पर प्रवेश नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) में पात्र एन. आर. आई. से प्रवेश प्रावीण्य सूची के आधार पर किए जाएंगे.

(ञ) प्रथमतः पन्द्रह प्रतिशत स्थान संबंधित निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन द्वारा संस्था स्तर पर केवल अनिवासी भारतीय से भरे जाएंगे, यदि वे उपलब्ध न हों तो यह रिक्त सीटें राज्य स्तरीय संयुक्त द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पूर्व, निजी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालय राज्य शासन को उपलब्ध कराएंगे. जिन्हें उसी संबंधित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में संविलियन कर राज्य शासन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (यू. जी.) के प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के आधार पर भरी जाएगीं.

11. **आगामी चरणों की काउंसिलिंग.**—द्वितीय एवं संभावित आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे.—

(क) सभी पूर्व ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी.

(ख) प्रथम चरण में आवंटित सीट पर प्रवेशित वे छात्र जिन्होंने पुनर्आवंटन के लिये विकल्प दिया है पात्र होंगे.

12. किसी भी कारण से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रक्रिया ऑफ लाईन की जाएगी जिसमें सीट आवंटन के लिए शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की पूर्ण वार्षिक फीस तथा अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेख काउंसिलिंग स्थल पर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं की जाएगी. सीट आवंटन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा.

नोट.—किसी कारण से रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया पृथक् है एवं यह अंतिम चरण की काउंसिलिंग का हिस्सा नहीं है.

13. **प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण किया जाना.**—(1) प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन की जाएगी.

(क) प्रवेश रद्द/निरस्तीकरण से आशय है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय में किसी भी कारणवश स्वेच्छा से सीट रिक्त/परित्याग करता है एवं आगामी काउंसिलिंग में भाग नहीं लेता है इस पूरी प्रक्रिया को प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण माना जायेगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि काउंसिलिंग के दौरान यदि कोई छात्र प्रदेश के अन्दर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तब इस प्रक्रिया को अपग्रेडेशन/पुनर्आवंटन कहा जायेगा एवं यह प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रहेगी.

(ख) किसी भी निजी संस्था में प्रवेश निरस्तीकरण के प्रकरणों के लिये दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं कि प्रवेश के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने हेतु अपना आवेदन पत्र पूर्ण औचित्य के साथ संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य को संबंधित छात्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा. संबंधित छात्र को अपने आवेदन-पत्र के साथ वही फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा, जो उसने प्रवेश के समय प्रस्तुत किये थे. अलाटमेन्ट लेटर की सत्यापित प्रति, प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा जमा की गई फीस रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी आवेदन पत्र मान्य किया जायेगा. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदन पत्र पर शीघ्र ही निर्णय लेकर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य, संबंधित छात्र, ए. एफ. आर. सी. एम. सी. आई./डी. सी. आई. तथा संबंधित विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा. जहां सीट लीविंग बॉण्ड की शर्त लागू हो उन प्रकरणों में सीट लीविंग बॉण्ड की राशि जमा कराई जाना अनिवार्य होगा, तभी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण का आवेदन मान्य होगा. संचालक, चिकित्सा शिक्षा से प्रवेश निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेख संबंधित छात्र/छात्र द्वारा अधिकृत अभिभावक को उसी दिन वापस किये जायेंगे. प्रवेश निरस्तीकरण की पर्ची संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा ऑनलाईन केवल एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जनरेट की जावेगी. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण आदेश ही वैध माने जायेंगे.

(2) संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश को निम्नानुसार भेजी जाना सुनिश्चित करेंगे.—

(क) समस्त प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की जानकारी संबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक दिवस परिशिष्ट-15 में सायंकाल 7.00 बजे तक संचालनालय की ई-मेल और डॉक/विशेष वाहक द्वारा उसी दिन उपलब्ध कराई जाएगी.

(ख) प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की पूर्ण सूचियाँ कम से कम एक वर्ष तक अपनी वेबसाईट पर संबंधित संस्थाएं निरन्तर प्रदर्शित रखेंगे तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर सूची/छात्रों

के नाम प्रदर्शित रखने हेतु संलग्न परिशिष्ट-15 में ई-मेल एवं डाक/विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.—

(एक) संचालक चिकित्सा शिक्षा (ई-मेल आई डी. dme12001@yahoo.com)

(दो) ए. एफ. आर. सी. की (ई-मेल आई डी. afrcmp@gmail.com)

(3) संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस के अंदर समस्त प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त छात्रों की सूची अनिवार्यत: संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, संबंधित विश्वविद्यालय, ए. एफ. आर. सी., एम. पी. ऑनलाईन एवं एम. सी.आई./डी.सी.आई. को ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक के माध्यम से परिशिष्ट-15 में उपलब्ध कराई जावे.

(4) प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संबंधित संस्था द्वारा कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं करने पर तथा प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक, चिकित्सा शिक्षा, एम.सी.आई./डी.सी.आई. संबंधित विश्वविद्यालय, ए. एफ. आर. सी. और एम. पी. ऑनलाईन को समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर तथा संस्था द्वारा स्वयं अपने स्तर पर प्रवेश निरस्त किये जाने पर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के विरुद्ध यह मानकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी कि उन्होंने जानबूझकर जानकारी को छिपाया है ताकि रिक्त रही सीटों को अवैधानिक रूप से भरा जा सके. प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण है अतएव छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश लेने के पूर्व भली-भांति सोच-विचारकर प्रवेश लें जिससे कि उन्हें आर्थिक हानि न हो एवं आगामी तीन वर्ष के लिये प्रवेश से वंचित न होना पड़े.

14. **अन्य निर्देश.**—(1) संबंधित श्रेणी के विकलांग प्रवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में खाली स्थान (सीट) उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे.

(2) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार पाठ्यक्रम व महाविद्यालय आवंटित किये जाने के पश्चात् पुन: आवंटन की पात्रता उसके मेरिट के अनुसार होगी. इसके लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक आवंटन के अनुसार निर्धारित तिथि तक संबंधित कालेज में शुल्क जमा करके संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में अंतिम तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी. शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पुन: आवंटन की स्थिति में महाविद्यालय में जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क की राशि छात्रों को वापस की जाएगी.

(3) शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी एवं जिसे संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा.

15. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें मध्यप्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश उनके अखिल भारतीय कोटा के आधार पर दिया गया है तथा वह मध्यप्रदेश स्टेट काउंसिलिंग के लिये पात्र है वे मध्यप्रदेश स्टेट काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के लिये आयोजित काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे, उन्हें आवंटन के समय अखिल भारतीय कोटा की सीट छोड़ना होगा. (एनेक्सर-2).

16. यदि आरक्षण अनुसार पात्र अभ्यर्थी किसी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी.—

(क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जावेगी.

(ख) अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जावेगी.

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी.

(घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित श्रेणियों के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी उपरोक्तनुसार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी.

17. पूर्व वर्षों में बी.डी.एस. में अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि प्रवेश परीक्षा नीट (यू. जी.) के आधार पर पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को प्ररुप-1 एवं 9 के साथ अपने मूल अभिलेख एवं छायाप्रतियों सहित संबंधित आवंटित संस्था में स्क्रूटनी एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा किया गया सीट आवंटन स्वत: निरस्त माना जाएगा.

18. अभ्यर्थी, काउंसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा.

19. **अन्य दिशा निर्देश.**—(1) स्क्रूटनी एवं प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएंगी जिसमें अभ्यर्थी की स्क्रूटनी एवं प्रवेश के समय की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण हो. वीडियोग्राफी की सी.डी. चार प्रतियों में तैयार की जाएगी जिसकी एक प्रति अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख, एक प्रति संचालक, चिकित्सा शिक्षा, एक प्रति ए. एफ. आर. सी. एवं एक प्रति रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय में जमा कराई जाएगी. महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, ए. एफ. आर. सी. को दी जाएगी एवं यह सूची संबंधित कालेज की वेबसाईट तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी एवं डीएमई एवं ए. एफ. आर. सी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी.

(2) प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग एवं उसकी समस्त व्यवस्थाओं के लिये संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यता में समिति गठित की जाएगी एवं उसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी. इस समिति के समन्वयक संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा होंगे जो पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे.

(3) स्क्रूटनी एवं प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दोनों हाथों की समस्त उंगलियों के फिंगर प्रिन्ट लिये जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय का होगा.

20. (1) प्रत्येक शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा प्रवेश समिति गठित की जाएगी जिसमें कम से कम दो आरक्षित श्रेणी के चिकित्सा शिक्षक रहेंगे. यह समिति संबंधित निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आवंटित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन करेगी एवं आवंटित महाविद्यालय का निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगी.

(2) प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को जिसे सीट आवंटित की गई है स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है. प्रवेश की समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी. प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा प्रतिदिन प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश स्थल के नोटिस बोर्ड पर एवं संबंधित निजी महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी. इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के प्रवेशित छात्रों की सूची संबंधित निजी महाविद्यालय द्वारा उसी दिन संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश को भी उपलब्ध कराई जाएगी.

(3) प्रवेशित अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण-पत्र आवंटित महाविद्यालय द्वारा जमा रखे जावेंगे तथा अभ्यर्थी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया जायेगा.

(4) अनुबंधित छात्रों के मूल अभिलेख, पाठ्यक्रम तथा इन्टर्नशिप पूर्ण करने के बाद तत्समय शासन के निर्देशानुसार लौटाने की कार्यवाही की जावेगी. जो छात्र अनुबंधित नहीं है उनके मूल अभिलेख, पाठ्यक्रम तथा इन्टर्नशिप पूर्ण करने अथवा पाठ्यक्रम की सीट महाविद्यालय से किसी भी कारण से त्याग पत्र देने की स्थिति में ही लौटाये जायेंगे.

(5) अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त होंगे.

21. **बंधपत्र (बांड) का निष्पादन.**—(1) ग्रामीण सेवा बाण्ड.—अभ्यर्थी जिसका एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग के माध्यम से हुआ है, उसे एक बांड का निष्पादन करना होगा, कि वह इन्टर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन की सेवा में रहकर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर निश्चित समय तक कार्य करेगा/करेगी. बांड की राशि अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थी के लिये रुपये 5.00 लाख (कुल रुपये पांच लाख मात्र) होगी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के छात्रों के लिये रुपये 3.00 लाख (कुल रुपये तीन लाख मात्र) होगी. (प्ररुप-14).

(2) **सीट लीविंग बाण्ड.**—आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा एक सीट लीविंग बाण्ड निष्पादित करेगा कि यदि वह एम. पी. स्टेट कोटे की काउंसिलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन को सांय 5.00 बजे के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट त्याग देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. प्रवेशित अभ्यर्थी, आर्थिक दण्ड स्वरुप, पाठ्यक्रम की शेष रही अवधि का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क के बराबर शुल्क संबंधित महाविद्यालय को जमा करेगा, अन्यथा भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किये जावेंगे. इसके अतिरिक्त एम.बी.बी.एस. प्रवेशित अभ्यर्थी को अगले तीन वर्षों तक राज्य के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

नोट.—किसी कारण से रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया पृथक् है एवं यह अंतिम चरण की काउंसिलिंग का हिस्सा नहीं है.

22. काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं राज्य के प्रमुख एवं बहुप्रसारित समाचार पत्रों में (कम से कम दो हिन्दी में एवं एक अंग्रेजी में) विज्ञापित किए जाएंगे. कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी सूचित किया जाएगा.

23. शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ एवं किसी भी कारण से होने वाली रिक्तियों पर प्रवेश की अंतिम तिथि के संबंध में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने पर अथवा एम. सी. आई. द्वारा तिथि निर्धारित किये जाने पर तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उसे संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा.

24. राज्य शासन, प्रवेश के किसी विनियम प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इन विनियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा.

25. प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार मध्यप्रदेश शासन को होगा. उसकी सूचना संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी किन्तु इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जाएगा. अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in के सतत् सम्पर्क में रहें एवं उसे देखते रहें.

26. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हिन्दी पाठ मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

प्ररूप-1

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्क्रूटनी, संबंधी प्रपत्र

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाए)

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने मध्यप्रदेश स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2016 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिए हैं. तत्पश्चात् ही नियमों में दिए गए प्रावधानों के अधीन स्क्रूटनी में भाग ले रहा/रही हूं.

स्क्रूटनी में भाग लेने के लिये आज दिनांक . . . . . को निम्न जानकारी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूं. यदि वांछित जानकारी नियमानुसार नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, अथवा आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए. किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए.

(1) नीट (यू. जी.) 2016 का रोल नं. : . . . . . .

(2) प्रवीण्य सूची क्रमांक : . . . . . .

(3) प्रवेश परीक्षा नीट (यू. जी.)2016 में प्राप्तांक : . . . . . .

(4) उम्मीदवार का पूरा नाम : . . . . . .

(5) माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता : . . . . . .
दूरभाष/मोबाईल नं. : . . . . . .

(6.1) श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग). : . . . . . .

(6.2) प्रवर्ग (सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, विकलांग ओपन) : . . . . . .

. . . . . .

उम्मीदवार के हस्ताक्षर, पूरा नाम व दिनांक

(7) मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही (चिन्ह) का चिन्ह लगायें (स्क्रूटनी समिति सदस्य द्वारा चिन्हांकित किया जाए).

(1) नीट (यू. जी.) 2016-टेस्ट एडमिट कार्ड;
(2) नीट (यू. जी.) 2016-की मूल अंक सूची;
(3) अर्हकारी परीक्षा . . . . . हायर सैकेण्डरी 10+2 की मूल अंक सूची;
(4) आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निम्न प्रविष्टियों सहित.—

पुस्तक क्रमांक	रसीद क्रमांक	दिनांक	स्थान	जारीकर्ता प्राधिकारी	हस्ताक्षर एवं मुहर है

(5) आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक/विकलांग) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में.

(6) जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं/12वीं की अंक सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो.

दिन	माह	वर्ष

(7) यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा उस अंतराल का शपथ-पत्र.

(8) मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र निम्न प्रविष्टियों सहित.

क्रमांक	जारी करने की दिनांक	स्थान	जारीकर्ता प्राधिकारी	हस्ताक्षर एवं मुहर है?

(9) अध्ययनरत अंतिम संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र. (उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थी से इस आशय का वचनबद्ध लिया जाए कि वह निश्चित समयावधि में प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था में जमा करा देगा).

(10) वर्तमान आय प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित) अथवा प्ररूप 10-ब के अनुसार.

(11) पूर्व संस्था के प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र सूची सहित. (यदि लागू हो तो).

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार समिति को उपलब्ध कराए गए मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख क्रमांक 01 से 11 का परीक्षण किया गया. प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति के तीन सेट अभिलेख हेतु जमा करा लिए गए हैं. प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों का नीचे उल्लेखित किया गया है.

सदस्य, स्क्रूटनी समिति
(नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक).

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों . . . . . से काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है.

अध्यक्ष, स्क्रूटनी समिति
हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम.

प्ररूप-1-अ

शपथ पत्र

मैं . . . . . ./आत्मज/आत्मजा श्री . . . . . उम्र . . . . . निवासी . . . . . आज दिनांक . . . . . को शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा काउंसिलिंग में लिए गए निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी.

आवंटित संस्था में समय-सीमा में प्रवेश लेकर, मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी.

1. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक . . . . . .
नाम . . . . . .
पूरा पता . . . . . .

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक . . . . . .
पूरा नाम . . . . . .
पता . . . . . .
टेलिफोन/मोबाईल नं. . . . . .

2. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक . . . . . .
नाम . . . . . .
पूरा पता . . . . . .

ANNEXURE-2

DECLARATION FORM

(To be submitted by candidate in the college at the time of admission

FOR

Allotment of a Seat in State Autonomous/Private Medical/Dental College in lieu of resignation from All India Quota Seat

I, ...
S/o, D/o, ... Resident of . . . . . Bearing Roll No.. . . . . have been placed at Rank Number . . . . . in the NEET (UG) 2016 and I had opted a Seat at College . . . . . Course.

. . . . . in the allotment, and have taken admission there on dated . . . . . .

I, the above nemed, hereby chose a seat at . . . . . college in . . . . . .course from amongst the seats in Medical/Dental Colleges of M. P. available at my rank during this counselling for allotment and admission.

Following this allotment, I hereby resign from my All India quota seat of 2016. I shall have no claim on the seat allotted to me earlier at College . . . . . Course . . . . . Consequently, the same stands vacated by me with immediate effect.

OR

I, the above named reject the seats, made available to me at my rank for allotment and I will continue my studies at my earlier allotted College . . . . . Course . . . . . .

Signature of the Candidate

Name . . . . . .
Rank No. . . . . .

प्ररूप-4 भाग (अ)

स्थायी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग . . . . . जिला . . . . . मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक . . . . . प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . . प्रकरण क्रमांक . . . . . .

स्थाई-जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . . पिता/पति का नाम . . . . . निवासी ग्राम/नगर . . . . . वि. खं. . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . संभाग . . . . . मध्यप्रदेश . . . . . जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह . . . . . जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक . . . . . पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . . पिता/पति का नाम . . . . . अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . . के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये . . . . . है.

दिनांक . . . . . हस्ताक्षर,
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/सील.

टिप्पणी.—(1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी)/उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत अदिवासी विकास परियोजना.

यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् जारी किया जाए, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ-पत्र के आधार पर अथवा स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर.

भाग (ब)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप.

स्थाई प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग . . . . . जिला . . . . . मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक . . . . . प्रकरण क्रमांक . . . . . प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . . .

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) . . . . . आत्मज श्री . . . . . निवासी/ग्राम . . . . . जिला/संभाग . . . . . मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो . . . . . जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन दिनांक 02 अप्रैल 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक . . . . . पर अंकित है.

श्री . . . . . (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला . . . . . संभाग . . . . . में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है श्री . . . . . (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र/क्रमांक 360/2/22/93 स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-1993 द्वारा जारी सूची के (कॉलम-3) में तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक . . . . . हस्ताक्षर,
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम (सील).

प्ररूप-6

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील . . . . . .
जिला . . . . . .

विषय : स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बावत्.

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है. मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है. यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें.

1-	नाम	:	. . . . .
2-	पिता/पति का नाम	:	. . . . .
3-	जन्मतिथि	:	. . . . .
4-	निवास का पूरा पता	:	मकान नं. . . . . .मोहल्ला . . . . .
			ग्राम/शहर का नाम . . . . .
			तहसील . . . . . जिला . . . . .
*5-	मेरी पत्नी का विवरण		नाम . . . . . .आयु . . . . . .वर्ष . . . . .
*6-	मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण		(1) नाम . . . . . .पुत्र/पुत्री आयु . . . . . .वर्ष . . . . .
			(2) नाम . . . . . .पुत्र/पुत्री आयु . . . . . .वर्ष . . . . .
			(3) नाम . . . . . .पुत्र/पुत्री आयु . . . . . .वर्ष . . . . .

संलग्न :—शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है).

हस्ताक्षर . . . . . .
आवेदक का नाम (. . . . .)

*लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें.

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, टप्पा/तहसील . . . . . जिला . . . . . .

पावती

श्री/श्रीमती . . . . . के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक . . . . . को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

प्ररूप—7

शपथ-पत्र

मैं . . . . . आत्मज / आत्मजा / पति श्री . . . . . आयु (लगभग) . . . . . वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं कि—

1. मैं वर्तमान में . . . . . में निवासरत हूं.

*2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती . . . . . एवं उम्र (लगभग) . . . . . वर्ष है.

*3 मेरे अवयस्क पुत्र / पुत्री— (1) श्री / कु. . . . . आयु (लगभग) . . . . . वर्ष . . . . .

(2) श्री / कु. . . . . आयु (लगभग) . . . . . वर्ष . . . . .

(3) श्री / कु. . . . . आयु (लगभग) . . . . . वर्ष . . . . .

(यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3/22/2010/3/1, दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें).

*(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं. . . . . मोहल्ला . . . . . ग्राम . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . में वर्ष . . . . . में पैदा हुआ / हुई हूं. मैंने संस्था . . . . . ग्राम / शहर . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . में वर्ष . . . . . से वर्ष . . . . . तक शिक्षा प्राप्त की है.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (i) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाए. मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा).

*(2) मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम / मोहल्ला . . . . . शहर . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूं.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की कंडिका 2 (ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो. यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक, कहां-कहां निवासरत रहें, इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाए).

*(3) मैं, मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम / मोहल्ला . . . . . शहर . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . में निरंतर निवासरत हूं और मेरे नाम से ग्राम / शहर . . . . . में सर्वे नं. . . . . रकबा . . . . . भू-खण्ड / मकान है. मैं . . . . . उद्योग / व्यवसाय करता हूं. मेरा टिन नंबर / पेन नंबर . . . . . है.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की कंडिका 2 (iii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो / उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो).

*(4) मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम . . . . . कार्यालय का नाम . . . . . विभाग का नाम . . . . . के पद पर पदस्थ हूं / से सेवानिवृत्त हुआ हूं.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार).

*(5) मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित . . . . . नामक संस्था / निगम / मण्डल / आयोग में . . . . . पद पर / से . . . . . कार्यालय में / से सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार कार्यरत / सेवानिवृत्त पद का नाम के साथ कार्यरत कार्यालय / जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, उसका पूर्ण विवरण दें.)

*(6) मैं, केन्द्र शासन के विभाग . . . . . में . . . . . के पद पर . . . . . कार्यालय . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . के पद पर वर्ष . . . . . से पदस्थ होकर कार्यरत हूं.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता).

*(7) मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष . . . . .) अधिकारी हूं. . . . . पद पर . . . . . कार्यालय / मंत्रालय . . . . . में पदस्थ हूं / से सेवानिवृत्त हुआ हूं.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार कार्यरत / सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम).

*(8) मैं, मध्यप्रदेश में संवैधानिक विधिक पद . . . . . (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति / महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूं.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण विवरण दिया जाए).

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं, ... आत्मज / आत्मजा / पति श्री . . . . . आयु . . . . . वर्ष, निवासी . . . . . सत्यापन करता / करती हूं कि शपथ-पत्र की कंडिका . . . . . लगायत . . . . . में जानकारी निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है. इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है.

सत्यापन आज दिनांक . . . . . को स्थान . . . . . में किया गया.

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

*जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए.

प्ररूप—8

कार्यालय, नायब तहसीलदार / तहसीलदार

टप्पा / तहसील . . . . . जिला . . . . . .

प्र. क्र. /बी-121/वर्ष . . . . . दिनांक . . . . . .

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाए जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. . . . . पिता / पति . . . . . निवासी . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . (मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिये प्रभावशील ज्ञापन दिनांक . . . . . में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक . . . . . की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी / अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है—

(1) आवेदक की पत्नी का नाम . . . . . आयु . . . . . वर्ष है.

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र / पुत्री

(1) . . . . . आयु . . . . . वर्ष

(2) . . . . . आयु . . . . . वर्ष

(3) . . . . . आयु . . . . . वर्ष

(4) . . . . . आयु . . . . . वर्ष

टीप.—यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी).

हस्ताक्षर तहसीलदार / नायब तहसीलदार
तहसील . . . . . .
जिला . . . . . .

*जो लागू न हो काट दें.

*यह प्रमाण-पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त है तो उसे भी मान्य किया जाएगा.

प्ररूप—9

बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राचार्य,

. . . . . .

. . . . . .

(सम्बन्धित दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय.—बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बाबत्.

मेरे द्वारा पूर्व के वर्ष . . . . . की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्रेणी . . . . . प्रवर्ग . . . . . मेरिट क्र. . . . . के आधार पर काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ.

मध्यप्रदेश शासकीय/निजी मेडिकल / डेंटल स्नातक प्रवेश नियम, 2016 के नियम-17 के अनुसार मैं, वर्तमान वर्ष 2016 की काउन्सिलिंग में बी.डी.एस. पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिये पुनर्आवंटन चाहता / चाहती हूँ. अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कट करें. मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा हैं. इस बाबत् भी पुष्टि करने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर,

नाम प्रार्थी . . . . . .

पिता / अभिभावक का नाम . . . . . .

कार्यालय, प्राचार्य

(दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

दिनांक . . . . . .

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश भोपाल.

श्री / कु. . . . . आत्मज / आत्मजा . . . . . इस दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में पूर्व के वर्ष . . . . . की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्रेणी . . . . . प्रवर्ग . . . . मेरिट क्र . . . . . के आधार पर काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर अध्ययनरत है.

बी.डी.एस. पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन किए जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है.

महाविद्यालय की सील
प्राचार्य / प्राधिकृत अधिकारी,
दन्त चिकित्सा महाविद्यालय.

प्ररूप—10-अ

आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप

प्रति,

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

. . . . . .

. . . . . .

विषय.—आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत्.

महोदय / महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है. मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :—

1. नाम : . . . . . .

2. पिता / पति का नाम : . . . . . .

3. निवास का पूरा पता : . . . . . .

4. संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त स्त्रोतों से मेरी / मेरे परिवार* की वार्षिक आय. : . . . . . .

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है).

हस्ताक्षर . . . . . .

आवेदक का नाम (. . . . . .)

(*परिवार से आशय पति / पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं.)

कार्यालय, तहसीलदार / नायब तहसीलदार टप्पा / तहसील . . . . . जिला . . . . . .

पावती

श्री / श्रीमती . . . . . के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक . . . . . को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता,

मय सील.

प्ररूप—10-ब

कार्यालय, तहसीलदार / नायब तहसीलदार

टप्पा / तहसील . . . . . जिला . . . . . मध्यप्रदेश

प्र. क्र. /बी-121/वर्ष . . . . . दिनांक . . . . . .

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कु. . . . . पिता / पति . . . . . निवासी . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . मध्यप्रदेश की / के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये . . . . . (शब्दों में . . . . .) है.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी).

तहसीलदार / नायब तहसीलदार,

तहसील . . . . . .

जिला . . . . . .

सील.

प्ररूप—14

बंध पत्र

रुपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए

मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, ... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री . . . . . निवासी . . . . . मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्याल में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं.

2. मैंने मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, 2016 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है.

3. मैं सामान्य / आरक्षित श्रेणी की / का छात्रा / छात्र हूं.

4. मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती / करता हूं कि :—

अ. मैं चिकित्सा / दन्त चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी / करूंगा.

ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा.

स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती / करता हूं.

(1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों / अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी / रहूंगा.

(2) यह कि, विहित अवधि स्नातक पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में, मैं शासन को रुपये 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रुपये 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु का भुगतान करने का वचन देती / देता हूं.

(3) यह कि, मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जाएंगे.

द. यह कि, इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा.

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

1. . . . . .

2. . . . . .

प्रतिभूतिकर्ता

मैं, ... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री . . . . . निवासी . . . . . उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल सम्पत्ति से वसूली की जा सकेगी.

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

1. . . . . .

2. . . . . .

परिशिष्ट—15

दिनांक . . . . . से दिनांक . . . . . तक

प्रवेशित / प्रवेश निरस्त / रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति की जानकारी का प्रपत्र

शैक्षणिक सत्र 2016–2017

चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम . . . . . .

स. क्र.	छात्र का नाम	ए.आई.पी.एम.टी. मैरिट			पात्रता श्रेणी	आवंटित श्रेणी	आवंटित पाठ्यक्रम का नाम (एमबीबीएस / बीडीएस)	प्रवेश तिथि	प्रवेश निरस्त का दिनांक (यदि आवश्यक हो)	प्रवेश निरस्तीकरण का कारण	वर्तमान स्थिति सीट रिक्त/भरी	संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवंटित सीट के आवंटन आदेश का क्रमांक एवं दिनांक
		रोल नंबर	राज्य रैंक	आल इंडिया रैंक								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

हस्ताक्षर एवं सील
अधिष्ठाता / प्राचार्य

परिशिष्ट—16

आय बाबत् स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र

(सादे कागज पर)

मैं, ... आत्मज श्री . . . . . आयु . . . . . वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं कि :—

1. मैं, वर्तमान में . . . . . में निवासरत हूं.

2. मेरे नाम से ग्राम . . . . . में हेक्टेयर / एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये . . . . . शब्दों में . . . . . की वार्षिक आय होती है.

3. मेरा व्यवसाय . . . . . है. इससे मुझे वार्षिक आय रुपये . . . . . शब्दों में . . . . . है.

4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये . . . . . शब्दों में . . . . . है.

5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं :—

   1. . . . . 2. . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . . .

   (परिवार से आशय पति / पत्नि / अवयस्क पुत्र / पुत्री / आश्रित माता या पिता से है)

6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये . . . . . शब्दों में . . . . . है.

7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है / शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है.

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग . . . . . समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र राशि . . . . . रुपये वार्षिक का प्रस्तुत किया / दिया था. मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है. अतः परिवर्तित आय राशि रुपये . . . . . वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है.
   (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ... आत्मज / पति श्री . . . . . आयु . . . . . वर्ष, निवासी . . . . . सत्यापन करता / करती हूं कि शपथ-पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है. इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है. मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या अपूर्ण जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक, दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे.

सत्यापन आज दिनांक . . . . . वर्ष . . . . . को स्थान . . . . . में किया गया है.

हस्ताक्षर

परिशिष्ट—17

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण.

संदर्भ.—विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 29 जून 2013.

आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला, छात्रवृत्ति आदि के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने संबंधी सेवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(अ) **स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था—**

वर्तमान में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.1 के रूप में अधिसूचित है. उक्त सेवा प्राप्त करने के लिये आवेदक को संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र के साथ निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) द्वारा सात कार्य दिवसों में आवेदक को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी कर दिया जाता है.

(ब) **स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था—**

1. राज्य शासन के अन्तर्गत किसी भी प्रयोजन के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित / टंकित शपथ पर स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित, घोषणा-पत्र दिये जाने के आधार पर उसे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा.

2. **पात्रता—**
मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी :—

1.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो.

1.2 आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो.

1.3 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था / निगम / मण्डल / आयोग का सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था / निगम / मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1.1) अथवा (1.2) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा.

1.4 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो.

1.5 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति / महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो.

1.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो. इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाएगी. इस कंडिका में ''परिजन'' से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता.

3. **आवश्यक दस्तावेज—**

आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में शपथ पर स्वहस्ताक्षरित, घोषणा-पत्र तैयार करना होगा. नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदक अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करेगा. ऐसा घोषणा-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्टाम्पित कागज पर दिया जा सकेगा. अर्थात् इसके लिये किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्रय करने अथवा नोटरी से अनुप्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणीकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी.

4. **प्रक्रिया—**

4.1 यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जो कि अब तक पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार/ अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये थे, उक्त व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाभिहित अधिकारी / सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है. इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र-1 में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) पर्याप्त एवं मान्य होगा. आवेदक से संबंधित विभाग / कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और स्थानीय निवास के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार किया जायेगा.

4.2 उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में समस्त विभाग अपनी उन सभी योजनाओं / सेवाओं का चिन्हांकन तत्काल करेंगे जिनके प्रदाय हेतु अनिवार्य दस्तावेज के रूप में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है. इन सभी सेवाओं के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करने संबंधी दिशा-निर्देश विभागों द्वारा 31 अक्टूबर 2014 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिये जायेंगे.

4.3 यदि भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिये अथवा किसी कानूनी अनिवार्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की बाध्यता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के सादे कागज पर आवेदक के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर संबंधित तहसीलदार / अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा.

5. आवेदक के स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किये जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है एवं घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्य प्रथमदृष्टया आवेदक के स्थानीय निवासी नहीं होने के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को यथास्थिति अमान्य / आपत्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी.

6. संबंधित विभाग / कार्यालय (जिनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के आधार पर सेवा / लाभ प्रदान किया गया है) के अधिकारियों तथा सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) द्वारा आवेदकों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेण्डम आधार पर नियमित रूप से करायी जायेगी. जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गई है, तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी.

7. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) स्थाई होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी.

8. नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावशील होगी. इस परिपत्र के जारी होने के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून, 2013 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.1—''स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना'' को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित सेवाओं की श्रेणी से विलोपित (Denotify) किया जाएगा. इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जावे. इस परिपत्र की कंडिका 4.3 के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले आवेदकों के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) के कार्यालय से संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी. ऐसे प्रकरणों में आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही विभाग के समसंख्यक संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित पात्रता की शर्तें इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप संशोधित मानी जायेंगी तथा प्रपत्र 2 में शपथ-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किया जायेगा. अत: परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 को तदनुसार संशोधित माना जावे.

9. घोषणा-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट—'एक' पर संलग्न है. कोई भी व्यक्ति केवल हस्तलिपि में अथवा टंकित कराकर, जो भी सुविधाजनक हो, इस प्रारूप की पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा.

10. उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही इनकी प्रति स्कूलों / कॉलेजों / अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाए एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम जनता इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सकें.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट—18

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7-2013-एक-3, भोपाल, दिनांक 20 मई, 2015

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार),
समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व),
समस्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी (कलेक्टर),
मध्यप्रदेश.

विषय.—सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक 6.1—कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में.

संदर्भ.—इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 एवं 25 सितम्बर, 2014.

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-308-05-01-2010, दिनांक 24-9-2011 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा क्रमांक 6.1 के रूप में अधिसूचित की गई थी, तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके लिये स्व-घोषणा-पत्र मान्य किया जायेगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7/2013/3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/इकसठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-06, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा सिर्फ कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

2. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रयोजन के लिये सामान्यतः संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित/ टंकित शपथ-पत्र पर स्व-हस्ताक्षरित स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा. किन्तु यदि भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी योजना आदि में लाभ लेने या अन्य किसी प्रयोजन के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता हो तो संबंधित व्यक्ति पूर्व की भांति लोक सेवा केन्द्र में सेवा क्रमांक 6.1 के तहत अपना आवेदन दे सकेंगे. ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी परिपत्र क्रमांक सी-3-7/2013/3/एक, दिनांक 29 जून, 2013 में दिये गये मापदण्डों / प्रक्रिया के तहत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जाये. इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1	कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	7 कार्य दिवस	अनुभाग अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

हस्ता./-
(आर. के. गजभिये)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट—18-अ

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—आय प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण.

संदर्भ.—विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 29 जून 2013.

आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों के लिये आय प्रमाण-पत्र प्रदाय करने संबंधी सेवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(अ) **आय प्रमाण-पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था—**

वर्तमान में आय प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.2 के रूप में अधिसूचित है. उक्त सेवा प्राप्त करने के लिये आवेदक को संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र तथा आय के उल्लेख के साथ शपथ-पत्र निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. आय प्रमाण-पत्र की पात्रता के लिये निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) द्वारा तीन कार्य दिवसों में आवेदक को आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी कर दिया जाता है.

(ब) **आय प्रमाण-पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था—**

1. राज्य शासन के अन्तर्गत किसी भी प्रयोजन के लिये आय प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित, घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जायेगा.

2. आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र तैयार करना होगा. नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदक अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करेंगे. ऐसा घोषणा-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्टाम्पित कागज पर दिया जा सकेगा अर्थात् इसके लिये किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्रय करने अथवा नोटराइज कराने की आवश्यकता नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणीकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी.

3. यहां यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि आय प्रमाण-पत्र, जो कि अब तक पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये थे, उक्त व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाभिहित अधिकारी / सक्षम अधिकारी के माध्यम से आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है. इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता

होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र-1 में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) पर्याप्त एवं मान्य होगा. आवेदक से संबंधित विभाग / कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और आय के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार किया जायेगा.

4. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में समस्त विभाग अपनी उन सभी योजनाओं / सेवाओं का चिन्हांकन तत्काल करेंगे जिनके प्रदाय हेतु अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है. इन सभी सेवाओं के लिये आय प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करने संबंधी दिशा-निर्देश विभागों द्वारा 31 अक्टूबर 2014 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिये जायें.

5. यदि भारत सरकार की किसी योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिये अथवा किसी कानूनी अनिवार्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की बाध्यता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के अस्टाम्पित कागज पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर संबंधित तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा.

6. आवेदक के आय हेतु स्वयं के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किये जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है एवं घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्य प्रथमदृष्टया आवेदक द्वारा अंकित आय के संबंध में त्रुटिपूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित करते हैं, तो आवेदक को सुनवाई का अवसर संबंधित कार्यालय द्वारा प्रदान कर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को यथास्थिति अमान्य / आपत्ति निरस्त किया जायेगा.

7. संबंधित विभाग / कार्यालय (जिनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के आधार पर सेवा / लाभ प्रदान किया गया है) के अधिकारियों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेण्डम आधार पर नियमित रूप से करायी जायेगी. जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गई है, तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी.

8. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) स्थाई होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी.

9. नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावशील होगी. इस परिपत्र के जारी होने के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून, 2013 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.2—"आय प्रमाण-पत्र जारी करना", को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित सेवाओं की श्रेणी से विलोपित (Denotify) किया जाता है. इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जावे. इस परिपत्र की कंडिका 5 में उल्लेखित आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) के कार्यालय से संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जारी होगा. ऐसे प्रकरणों में आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही प्रपत्र 2 में शपथ-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किया जायेगा. अतः परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 को तद्नुसार संशोधित माना जावे.

10. घोषणा-पत्र का प्ररूप परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है. कोई भी व्यक्ति केवल हस्तलिपि में अथवा टंकित कराकर, जो भी सुविधाजनक हो, इस प्ररूप की पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा.

11. उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही इनकी प्रति स्कूलों / कॉलेजों / अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाए एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम जनता इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सके.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट—19

मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23-27/2014/25-5 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   चिकित्सा शिक्षा विभाग,
   भोपाल.
2. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   तकनीकी शिक्षा विभाग,
   भोपाल.
3. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   आयुष विभाग,
   भोपाल.
4. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   उच्च शिक्षा विभाग,
   भोपाल.

विषय.—महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति.

संदर्भ.—समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 20-7-2016.

उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञाप द्वारा दिनांक 2-6-16 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में महाविद्यालयों में, महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना की नियमावली कंडिका VIII (iii), IX, XI, XII के अंतर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति का कार्यवाही विवरण प्रेषित किया गया है. लिये गये निर्णय अनुसार आपके विभाग से संबंधित शासकीय / अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को पालन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करने का कष्ट करें :—

1. 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से शासकीय स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी.

2. 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से अशासकीय स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी. राज्य काउन्सिलिंग से प्रवेश होने पर जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र की प्रति विद्यार्थी से प्राप्त कर संस्था तत्काल संबंधित जिले (जहां संस्था स्थापित है, जिसमें विद्यार्थी का प्रवेश होना है) के जिला अधिकारी को जानकारी देंगे तत्समय ही जिला अधिकारी संस्थान को पात्रतानुसार विद्यार्थी को शुल्क स्वीकृत होने की संलग्न प्रारूप अनुसार वचन-पत्र (Undertaking) संस्था को उपलब्ध कराएंगे.

3. उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के एक माह के अन्दर नियमानुसार संबंधित संस्था / नोडल संस्था पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन पूर्ण कर आदिम जाति / अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के पास ऑनलाईन अग्रेषित करेंगे. मूल आवेदन-पत्र सुसंगत अभिलेखों की हार्डकापी के साथ प्रेषित किया जाएगा. विभाग के अधिकारी विधिवत् प्राप्त प्रस्तावों को कलेक्टर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर एक माह के अन्दर राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में अंतरित करायेंगे तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था को अनिवार्यत: दी जाएगी.

4. प्रत्येक जिले में संचालित शिक्षण संस्थाओं की सूची प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी जिन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जावेगा उन संस्थाओं को जिला कलेक्टर कारणों सहित स्पष्ट आदेश पारित कर छात्रवृत्ति के प्रयोजन से संस्था को डीनोटिफाइड (Denotified) करेंगे. Denotification में उल्लेखित अवधि में संबंधित संस्था तथा विद्यार्थी विभाग की योजना से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे.

संलग्न.—उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-
(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

हस्ता./-
(अलका उपाध्याय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

वचन-पत्र
(Undertaking)

श्री . . . . . पुत्र श्री . . . . . जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं एवं इन्हें पोस्ट-मैट्रिक की पात्रता आती है, का प्रवेश . . . . . पाठ्यक्रम में हुआ है.

उपरोक्त चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क शासन द्वारा विद्यार्थी के खाते में जमा किया जाएगा.

हस्ताक्षर . . . . . .
नाम . . . . . .
पद . . . . . .
प्रभारी अधिकारी

छात्र द्वारा वचन-पत्र
(Undertaking)

मैं, ... पुत्र श्री . . . . . वचन देता हूं कि शासन से मेरे खाते में प्राप्त होने वाला शुल्क मैं चिकित्सा महाविद्यालय / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय / इंजीनियरिंग महाविद्यालय को तत्काल भुगतान करूंगा.

विद्यार्थी के हस्ताक्षर . . . . . .
विद्यार्थी का नाम . . . . . .
पिता का नाम . . . . . .
पता . . . . . .
. . . . . .
मोबाईल नंबर . . . . . .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.